16

न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1699–।/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–8–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त,सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक निगरानी 581/अ–19/06–07

बारेलाल फौत द्वारा वैध वारिसः–
1– मानिक पुत्र बारेलाल लोधी
2– भिक्खा उर्फ धनीराम
3– गनेशा पुत्र मुलुआ चमार
4– हन्नू पुत्र रामदास लोधी
निवासीगण–ग्राम हीरापुर (खिरक तुर्की)
तहसील बल्देवगढ, जिला टीकमगढ (म.प्र.) .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– हरदास पुत्र गणेश अहिरवार
निवासी हीरापुर राजस्व निरीक्षक मण्डल टउीला,
तहसील बल्देवगढ, जिला टीकमगढ (म.प्र.)
2– मध्य पद्रेश शासन .....अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

(अनावेदक कमांक–1 की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)

(अनावेदक कमांक–2 की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8–11–2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 581/अ–19/2006–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 1–8–2007 से

परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारॉश यह है कि, अनावेदक क.–1 द्वारा ग्राम हीरापुर स्थित भूमि खसरा कमांक 303, 304, 305, 306, 307/3 कुल रकवा 1.634 हैक्टर के व्यवस्थापन हेतु (विशेष उपबंध अधिनियम 1984) के तहत नायब तहसीलदार बल्देवगढ (कुडीला) के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रकरण कमांक 1/अ–19 (4)/98–99 पर दर्ज किया जाकर, आदेश दिनांक 8–2–1999 को अनावेदक क–1 के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे प्रकरण कमांक 14/स्व.निग./2005–06 पर दर्ज किया जाकर, आदेश दिनांक 14–6–2007 के द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर विवादित भूमि को शासकीय धोषित किया गया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क–1 ने अपर आयुक्त सागर,संभाग सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 581/अ–19/2006–07 पर दर्ज की जाकर, आदेश दिनांक 1–8–2007 द्वारा स्वीकार की गई है। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि विवादित भूमि पर आवेदकगण 1975 से लगातार काबिज रहे है। नायब तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण में न तो इश्तहार व उद्धोषणा का प्रकाशन कराया और न प्रकरण से संबंधित हितबद्व पक्षकारों को सूचना व सुनवाई का अवसर दिया गया।

यह तर्क भी दिया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि दखल रहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत व्यवस्थापन केवल उन्हीं आवेदक को किया जाता है जो सन् 1984 से पूर्व से विवादित भूमि पर काबिज होते है। इस प्रकरण में अनावेदक क–1 वर्ष 1994–95 से अतिकामक था। इस तथ्य को अनदेखा कर विधि विरूद्ध तरीके से व्यवस्थापन आदेश पारित

किया गया। इस कारण उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4– अनावेदक क–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि अनावेदक क–1 उक्त विवादित भूमि पर सन् 1984 से काबिज था उसके द्वारा उक्त भूमि को मेहनत मजदूरी करके कृषि योग्य बनाया गया है। अनावेदक क–1 का 15–16 वर्षो का लगातार कब्जा होने व भूमिहीन कृषि मजदूर होने से नायब तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर उद्घोषणा व इश्तहार का प्रकाशन किया गया, व साक्ष्य ली जाकर, किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं आने के पश्चात व्यवस्थापन की पात्रता होने से अनावेदक क.1 के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि, इसी प्रकरण से संबंधित सरजू पुत्र प्यारेलाल लोधी ने अपर कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष निगरानी प्र0क0 46/अ/निग/2004–05 प्रस्तुत की गई थी जो आदेश दिनांक 10–1–2006 द्वारा निरस्त की गई। जिसकी निगरानी अपर आयुक्त महोदय के समक्ष होने पर आदेश दिनांक 21–12–2006 द्वारा निरस्त की गई थी। इसी प्रकार के मामले में दिनांक 28–1–2006 को शिकायत प्रस्तुत की गई शिकायत के आधार पर कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में अनावेदक क–1 के अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 2004 आर.एन. 332, का हवाला देते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5– अनावेदक क–2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में भूमि खसरा कमांक 303, 304, 305, 306, 307/3 कुल रकवा 1.634 हैक्टर के व्यवस्थापन हेतु अनावेदक क.–1 द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत होने पर दिनांक 2–11–1998 को आपत्ति आमंत्रित की जाकर, व्यवस्थापन आदेश

दिनांक 8–2–1999 को पारित किया गया है। प्रकरण में अनावेदक क–1 की साक्ष्य ली गई एवं अन्य साक्षी रमेश अहिरवार की साक्ष्य ली गई, जिसने यह बताया है कि हरदास ने उक्त भूमि मेहनत मजदूरी करके कृषि योग्य बनाई है दूसरे साक्षी फरे की साक्ष्य ली गई, जिसने यह बताया कि हरदास 15–16 वर्ष से लगातार विवादित भूमि पर काबिज चला आ रहा है। पटवारी के कथन में स्पष्ट उल्लेख है कि हरदास 15–16 वर्षो से लगातार काबिज होकर मौके पर उर्द तिली बोकर कृषि कार्य कर रहा है व्यवस्थापन में सार्वजनिक हित में कोई बाधा नहीं है। इन सभी तथ्यों को अनदेखा कर कलेक्टर द्वारा मात्र शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर अनावेदक क–1 का व्यवस्थापन निरस्त कर उक्त विवादित भूमि को शासकीय धोषित किया गया। कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश एवं अपर आयुक्त का आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाकर, अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–8–2007 एवं नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–2–1999 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर